

अध्याय—III

बजटीय प्रबन्धन


यह अध्याय बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता, जिसमें अनुपूरक अनुदानों और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन शामिल हैं, यह आंकलन करते हुए कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को धन के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया गया है, से संबंधित है।

3.1 बजट प्रक्रिया


वार्षिक बजट की कार्यवाही, सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश देने का एक साधन है। उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (यूपीबीएम) उत्तर प्रदेश सरकार हेतु बजट तैयार करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।

यूपीबीएम के प्रस्तर-8 के अनुसार “वित्त विभाग वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। विभागीय अधिकारियों एवं सचिवालय के प्रशासनिक विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। विभागाध्यक्ष और अन्य प्राक्कलन अधिकारी जिससे वह सम्बन्धित हैं प्रत्येक लेखा शीर्ष के लिए अनुमान तैयार करते हैं और इन्हें वित्त विभाग को अग्रेषित करते हैं”। बजट अनुमान वित्त विभाग को निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बजट को अंतिम रूप देने के बाद उसमें नए व्यय के प्रावधान को शामिल करने के बाद, इसे संविधान के अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत राज्यपाल की संस्तुति पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। विधान सभा द्वारा अनुदानों पर मतदान हो जाने के बाद, राज्य की संचित निधि से मतदेय एवं भारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक धन के विनियोग के लिए विधान सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक जब विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और इसे राज्यपाल की सहमति भी प्राप्त हो जाती है, तो उसमें दर्शायी गई धनराशि संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जा सकती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 में प्रावधान है कि वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में पारित प्रावधानों पर अनुपूरक अनुदान या विनियोग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जहां उस वर्ष, जिसके लिए विनियोग अधिनियम के प्रावधान अपर्याप्त पाए जाते हैं या जब वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है अथवा यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की जा रही है, जिसकी मूल बजट में परिकल्पना नहीं की गई थी।



अनुपूरक अनुदान के अलावा, पुनर्विनियोग का उपयोग उसी अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत निधियों के पुनः आवंटन के लिए भी किया जा सकता है। पुनर्विनियोग, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोग की एक इकाई से बचत का स्थानांतरण उसी अनुदान के अन्दर (अर्थात् राजस्व—मतदेय, राजस्व—भारित, पूंजीगत—मतदेय, पूंजीगत—भारित) अनुदान या आरोपित विनियोग किसी अन्य इकाई के अन्तर्गत मौजूदा सेवा पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2019–20 के बजट के विभिन्न घटकों को दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है।



झोत : उ.प्र. वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुपूरक अनुदान एवं वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत बजट के भारित और मतदेय दोनों मदों के संबंध में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी व्यय और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं और विनियोग लेखे में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। सीएजी द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अधीन किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकार के अधीन है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभारित किए जाने के लिए आवश्यक व्यय प्रावधानों के अधीन प्रभारित है। यह भी पता चलता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.1.1 2019–20 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधानों, व्यय और बचत की संक्षिप्त स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1: 2019-20 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत

(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		व्यय		बचत	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
राजस्व	3,30,196	58,007	2,66,083	35,367	64,113	22,640
पूंजीगत	1,03,193	35,413	75,556	22,420	27,637	12,993

ज्ञोत : 2019–20 के विनियोग लेखे का सारांश

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्व मतदेय के अधीन बजट प्रावधान ₹ 3,30,196 करोड़ था, जबकि इसके सापेक्ष व्यय ₹ 2,66,083 करोड़ (बजट प्रावधानों का 80.58 प्रतिशत) और राजस्व भारित के अधीन बजट प्रावधान ₹ 58,007 करोड़ था, जिसके सापेक्ष व्यय ₹ 35,367 करोड़ (बजट प्रावधानों का 60.97 प्रतिशत) था। इस प्रकार, वास्तविक व्यय बजट प्रावधानों से अत्यन्त कम था।

इसी प्रकार, पूंजीगत मतदेय के अधीन बजट प्रावधान ₹ 1,03,193 करोड़ था और व्यय ₹ 75,556 करोड़ (कुल प्रावधान का 73.22 प्रतिशत) था और पूंजीगत भारित के लिए प्रावधान ₹ 35,413 करोड़ एवं प्रावधान के सापेक्ष कुल व्यय ₹ 22,420 करोड़ (बजट प्रावधानों का 63.31 प्रतिशत) था जो पुनः कुल बजट प्रावधान से अत्यन्त कम था।

3.1.2 भारित और मतदेय व्यय

2015-20 की अवधि के दौरान कुल भारित और मतदेय व्यय और उनके सापेक्ष बचतों का वर्गीकरण तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2: वर्ष 2015-20 के दौरान मतदेय तथा भारित व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व				पूंजीगत			
	व्यय		बचत		व्यय		बचत	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
2015-16	1,85,503	28,777	31,591	826	86,430	17,702	8,246	3,732
2016-17	2,01,666	38,072	28,724	510	89,186	20,309	14,129	4,767
2017-18	2,26,083	41,806	59,686	4,111	51,973	15,014	23,000	6,972
2018-19	2,47,287	58,976	51,703	433	82,792	20,729	27,377	9,838
2019-20	2,66,083	35,367	64,113	22,640	75,556	22,420	27,637	12,993

ज्ञोत: विनियोग लेखे का सम्बन्धित वर्षों का सारांश

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि 2015-20 की अवधि के दौरान राजस्व मतदेय के अधीन व्यय ₹ 1,85,503 करोड़ से सतत रूप से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 2,66,083 करोड़ हो गया है। तथापि, राजस्व मतदेय में बचत 2015-16 में 14.55 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 19.42 प्रतिशत हो गयी जो नियोजन एवं क्रियान्वयन के मध्य अन्तर को प्रदर्शित करती है।

अग्रेतर, 2015-19 के मध्य राजस्व भारित के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि हुई है किन्तु वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 40.03 प्रतिशत की कमी हुई है। यह मुख्य रूप से वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवाएँ एवं अन्य व्यय) के राजस्व भारित अनुभाग में ₹ 22,455 करोड़ की बचत के कारण हुआ है।

इसी प्रकार, पूँजीगत मतदेय अनुभाग के अधीन व्यय 2015-20 की अवधि के दौरान परिवर्तनशील था एवं यह वर्ष 2016-17 के दौरान उच्चतम और वर्ष 2017-18 के दौरान न्यूनतम था। वर्ष 2019-20 के दौरान पूँजीगत मतदेय अनुभाग के अधीन व्यय ₹ 75,556 करोड़ था जो वर्ष 2018-19 के दौरान संवितरित की गई राशि से 8.74 प्रतिशत कम था।

3.2 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार कानून द्वारा पारित किए गए विनियोग के बजाय राज्य की संचित निधि से कोई धनराशि नहीं निकाली जाएगी। निर्धारित प्रक्रिया से विचलन इस अनुभाग में चर्चा किए जा रहे हैं।

3.2.1 बिना विधायी प्राधिकार के व्यय

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा भूमि के क्रय एवं कार्यालय भवन समूह के निर्माण पर व्यय ₹ 51.21 करोड़ के विधायी प्राधिकार सुनिश्चित करने में असफल रही।

विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 की धारा 17 और धारा 22 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) की अधिसूचना दिनांक 10 सितंबर 1998 द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) की स्थापना हुई। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया (नवंबर 2000) के अनुसार, यूपीईआरसी अपने द्वारा संग्रहीत किए गए शुल्क को कोषागार में जमा करेगा और राज्य सरकार यूपीईआरसी को सहायता अनुदान आवंटित करेगी। इसके बाद, विद्युत अधिनियम, 2003 ने प्रावधानित किया कि यूपीईआरसी द्वारा प्राप्त सभी शुल्क यूपीईआरसी निधि में जमा किए जाएंगे और राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से, यूपीईआरसी के व्ययों को पूरा करने के लिए निधि को व्यय करने का तरीका निर्धारित कर सकती है। तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक यूपीईआरसी निधि की स्थापना नहीं की है और यूपीईआरसी को सहायता अनुदान निर्गत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया (नवंबर 2000) का पालन जारी रखा गया था। तदनुसार, राज्य सरकार ने यूपीईआरसी को अनुदान संख्या 09 (ऊर्जा विभाग) में मद शीर्ष-2045 (वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क) – 103 (संग्रहण प्रभार ईडी) – 04 (यूपीईआरसी) के अधीन मानक मदों 31-वेतन और 20-गैर-वेतन शीर्ष के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्रदान किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकार ने यूपीईआरसी को आवंटित भूमि पर कार्यालय भवन निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (सितम्बर 2010) प्रदान की। यूपीईआरसी ने राज्य सरकार से कार्यालय भवन के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं ₹ 24.47 करोड़ (वर्ष 2010-11 में ₹ 14.07 करोड़ और वर्ष 2011-12 में ₹ 10.40 करोड़) के आवंटन के लिए अनुरोध (नवंबर 2010) किया। तथापि, यूपीईआरसी ने प्रशासनिक अनुमोदन/निधि के आवंटन को प्राप्त किए बिना, भूमि की लागत तथा अन्य

प्रभारों हेतु ₹ 12.67 करोड़ का भुगतान (दिसंबर 2010) अपने पक्ष में भूमि के हस्तांतरण के लिए किया। राज्य सरकार ने बाद में, यूपीईआरसी को अवगत कराया (नवंबर 2013) कि भूमि की खरीद पर किए गए व्यय के कार्योत्तर अनुमोदन और भवन निर्माण पर होने वाले अनुमानित व्यय के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी तथा यूपीईआरसी के स्तर पर इसके अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। यद्यपि, राज्य सरकार का निर्देश विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 102 और 106 के उल्लंघन में था, जिसमें प्रावधान है कि यूपीईआरसी अपना बजट राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार, आयोग को ऐसी राशि के अनुदान और ऋण जो राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद, राज्य सरकार आवश्यक समझे कर सकती है। इसके अलावा, राज्य सरकार का निर्देश भी निर्धारित प्रक्रिया (नवंबर 2000) के अनुरूप नहीं था, जिसमें यूपीईआरसी को राज्य सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान से व्यय करने की बाध्यता थी।

31 मार्च 2020 तक यूपीईआरसी ने कार्यालय भवन के निर्माण पर ₹ 51.21 करोड़⁴⁶ व्यय किए थे। यह व्यय संविधान के अनुच्छेद 204 का उल्लंघन था, क्योंकि कार्यालय भवन के निर्माण हेतु यूपीईआरसी को सहायता अनुदान के लिए आवश्यक विधायी प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया था।

यूपीईआरसी ने उत्तर में बताया (जनवरी 2021) कि आयोग ने भूमि और भवन परियोजना के लिए बजट आवंटन हेतु राज्य सरकार से बार-बार अनुरोध किया था। यूपीईआरसी ने आगे तर्क दिया कि आयोग ने राज्य सरकार के आदेशों (सितंबर 2010 और नवंबर 2013) के अनुपालन में कार्य किया था।

अतएव आयोग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि यूपीईआरसी को राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से व्यय करना आवश्यक था। इस प्रकार, यूपीईआरसी द्वारा पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु मानक मद 35–अनुदान के अन्तर्गत बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से राज्य विधानमंडल द्वारा उचित प्राधिकार के बाद राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में से किसी भी पूंजीगत प्रकृति का व्यय किया जाना था।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (दिसंबर 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।

3.2.2 व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली (यूपीबीएम) के अनुसार, पूंजीगत और राजस्व के मध्य व्यय का वर्गीकरण निम्न प्रकार है।

(अ) पूंजीगत व्यय :— पूंजीगत व्यय को मुख्यतः भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। पूंजीगत, एक परियोजना के प्रथम निर्माण के लिए सभी प्रभारों के साथ–साथ सेवा के लिए नहीं खोले जाने तक काम के मध्यवर्ती रखरखाव के लिए प्रभार वहन करती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अन्तर्गत ऐसे अग्रेतर परिवर्धन और सुधार के लिए अनुमोदित किए गए प्रभार भी वहन करती है।

(ब) राजस्व व्यय :— राजस्व व्यय प्रकृति में आवर्ती है और राजस्व प्राप्तियों से व्यय को पूरा करने हेतु उद्देशित है। अग्रेतर, भारत सरकार के लेखा मानक–2 (आईजीएएस–2) के अनुसार, सहायता अनुदान पर व्यय को अनुदानकर्ता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में और प्राप्तकर्ताओं की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में अभिलेखित किया जाना है। पूंजीगत परियोजनाओं के अनुरक्षण और रखरखाव का व्यय भी राजस्व व्यय में शामिल होता है।

⁴⁶ भूमि एवं अन्य प्रभार मूल्य ₹ 14.26 करोड़ एवं कार्यालय भवन परिसर के निर्माण में ₹ 36.95 करोड़।

तथापि, वर्ष 2019-20 के दौरान अनेक प्रकरणों में पूंजीगत के रूप में राजस्व और राजस्व के रूप में पूंजीगत के बीच त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण देखा गया, जैसा कि आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

3.2.2.1 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण

वित्त विभाग ने व्यय की आर्थिक प्रकृति को दर्शाने वाले विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में मानक मदों की एक सूची को अपनाया है। इस प्रकार, कुछ मानक मद केवल व्यय की राजस्व प्रकृति के अनुरूप हैं क्योंकि यह यूपीबीएम में परिभाषित परिसंपत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते हैं।

नीचे दी गई तालिका में सारांशित राजस्व प्रकृति मानक मदों के व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था जैसा कि तालिका 3.3 में वर्णित है।

तालिका 3.3: राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मानक मद	मानक मद नामकरण	अनुदान संख्या	2019–20 के लिए बजट प्रावधान	2019–20 में वास्तविक व्यय
1	15	वाहनों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद आदि: इसमें पेट्रोल /डीजल हेतु प्रावधान एवं सरकारी कार्यालयों/ कार्यात्मक प्रतिष्ठानों/ अतिथिगृहों आदि के उपयोग हेतु मोटर वाहनों से संबंधित अनुरक्षण का प्रावधान शामिल है। सरकारी प्रयोजन हेतु मोटर वाहनों की अनुबंध आधार पर होने वाला व्यय भी इस मद में सम्मिलित है।	60	0.11	0.10
2	16	वाणिज्यिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान: इसमें कानूनी/ विशेषज्ञ सेवाओं पर खर्च, परामर्श सेवाओं के लिए शुल्क, परीक्षकों को देय राशि आदि शामिल हैं।	61 एवं 72	9.27	3.81
3	25	लघु निर्माण कार्य: जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–VI के प्रस्तर 314 में दिया गया है, ₹ 1.00 लाख से अधिक किन्तु ₹ 2.00 लाख लागत से कम के कार्य लघु कार्य हैं।	01, 04, 08, 10, 11, 13, 20, 22, 25, 26, 31, 32, 34, 36, 42, 46, 49, 50, 52, 55, 58, 59, 60, 65, 69, 72, 73, 75, 77, 81, 83, 87, 89, 92 एवं 94	92.76	73.00

क्र. सं.	मानक मद	मानक मद नामकरण	अनुदान संख्या	2019–20 के लिए बजट प्रावधान	2019–20 में वास्तविक व्यय
4	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/प्रासंगिक स्टेशनरी की खरीदः इसमें कम्प्यूटरों के अनुरक्षण तथा कम्प्यूटर लेखन सामग्री, प्रिंटर रिबन/कार्ड्रिज आदि की खरीद पर व्यय शामिल है।	58, 72 एवं 73	0.24	0.10
		योग		102.38	77.01

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण ₹ 77.01 करोड़ के व्यय को राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया है, जिसका राज्य के 2019–20 के दौरान राजस्व अधिशेष पर समान राशि का प्रभाव पड़ा है।

3.2.2.2 कुम्भ मेले से सम्बन्धित व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

कुम्भ मेले के व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण होने से ₹ 15.21 करोड़ को राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में अंकित किया गया

सरकारी लेखा नियम, 1990 के नियम 30 में प्रावधान है कि पूंजीगत अनुभाग में वर्गीकृत किए जाने वाले पूंजीगत प्रकृति के व्यय को मुख्यतः एक भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस संपत्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। इसके अलावा, एक अस्थायी संपत्ति पर व्यय को नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर, सामान्यतः पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, और पूंजीगत लेखे के शीर्ष पर डेबिट नहीं किया जाएगा।

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 के दौरान प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेला—2019 हेतु अनुदान संख्या—37 (नगर विकास विभाग) के पूंजीगत लेखे में अनुपूरक बजट (जुलाई 2019) में ₹ 349 करोड़, आवंटित किये थे, जैसा कि नीचे वर्णित है।

लेखा शीर्ष	विवरण
अनुदान संख्या—37 लेखा शीर्ष - 4070-800-06-24	अन्य प्रशासनिक सेवा पर पूंजीगत परिव्यय—अन्य व्यय—कुंभ मेला 2019, प्रयागराज—वृहत निर्माण कार्य

तत्पश्चात्, इस अनुपूरक आवंटन से ₹ 161.98 करोड़ की राशि को आर्थिक मितव्यता के रूप में 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित कर दिया गया था। तथापि, ₹ 437.61 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 250.59 करोड़ का अधिक व्यय हुआ, जिसके लिए सरकार द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया।

कुंभ मेले के इस अनुपूरक प्रावधान से व्यय के वाउचरों की नमूना जांच से पता चला कि पूंजीगत कार्यों के निष्पादन के प्रावधानों के विरुद्ध अस्थायी प्रकृति के कार्यों (जैसे अस्थायी घाटों का निर्माण, नदी तलकर्षण, मेला क्षेत्र में साइनेज कार्य और पहुंच मार्ग आदि का निर्माण कार्य) पर ₹ 15.21 करोड़ व्यय किया गया। इस प्रकार के व्यय को बजट और व्यय के राजस्व शीर्ष से व्यय किया जाना चाहिए था। इस त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण से 2019-20 के दौरान राजस्व अधिशेष में ₹ 15.21 करोड़ की वृद्धि का प्रभाव

पड़ा। इस प्रकरण में बजटीय वर्गीकरण और व्यय की प्रकृति पूंजीगत/राजस्व व्यय के वर्गीकरण के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कुंभ मेला वर्ष 2019 पर शेष व्यय की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या इसे निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बजट और वर्गीकृत किया गया है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (नवम्बर 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2021)।

3.2.2.3 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकरण

कुछ मानक मदों को केवल व्यय की पूंजीगत श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि इन प्रावधानों से संपत्ति बनाई जाती है और तदानुसार बजट और लेखांकन की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि अनेक मानक मदों पर व्यय को पूंजीगत की जगह राजस्व शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जैसा कि तालिका 3.4 में संक्षेपित है।

तालिका 3.4: पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मानक मद	मानक मद नामकरण	अनुदान संख्या	वर्ष 2019–20 के लिए बजट प्रावधान	2019–20 में वास्तविक व्यय
1.	14	मोटर वाहन की खरीद	01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91 एवं 95	9.10	7.21
योग				9.10	7.21

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण, ₹ 7.21 करोड़ के व्यय को पूंजीगत व्यय के स्थान पर राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया गया है, जिसका 2019–20 की अवधि में राज्य के राजस्व अधिशेष पर समान राशि से प्रभाव पड़ा है।

3.2.3 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

सार्वजनिक वित्त के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में विश्वसनीय, प्रासंगिक और समय पर सूचनाओं की उपलब्धता से सरकार की वित्तीय स्थिति और सरकारी गतिविधियों की सही लागत का आकलन किया जा सकता है। पारदर्शिता शासन व्यवस्था को मजबूत करने का एक साधन है।

यूपीबीएम के प्रस्तर 31 के अनुसार अप्रत्यक्षित मामलों को छोड़कर नियमतः, अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए, जहां आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए या किसी परियोजना/योजना के प्रारंभिक व्ययों जिसे वित्तीय वर्ष में लिए जाने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है उनको पूर्ण करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने हैं। प्रस्तावित प्रावधानों को उचित ठहराने वाले विस्तृत स्पष्टीकरण एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट नोट में दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2019-20 के दौरान, 18 अनुदानों के विभिन्न शीर्षों के आधीन ₹ 6,767.78 करोड़ के एकमुश्त प्रावधान योजना के विवरण को दर्शाए बिना किए गए थे (परिशिष्ट-3.1)। तीन अनुदानों (अनुदान संख्या 40, 57 और 58) के अन्तर्गत एकमुश्त प्रावधान कुल बजट प्रावधानों के क्रमशः 49.10 प्रतिशत, 10.62 प्रतिशत एवं 23.61 प्रतिशत थे। अग्रेतर, 18 अनुदानों में 14 के अन्तर्गत एकमुश्त प्रावधानों के सापेक्ष ₹ 6,572.33 करोड़ (प्रावधान का 97 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। व्यय शीर्ष के आंकलन के बिना एकमुश्त बजटीय प्रावधान पारदर्शिता के सिद्धांत के विपरीत है।

3.2.4 व्यय आधिक्य एवं उसका नियमितीकरण

3.2.4.1 संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) में प्रावधान है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष के लिए उस सेवा के लिए स्वीकृत राशि से अधिक राशि खर्च की गई है, तो राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान सभा में इस प्रभार की अधिकता की मांग को प्रस्तुत करना होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुदान संख्या 55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के पूर्जीगत भारित मद में ₹ 10.71 लाख का अधिक संवितरण विनियोग लेखे में कारणों को सम्मिलित किए बिना हुआ था। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत किए गए अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय का विवरण तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: 2019–20 के दौरान राज्य की संचित निधि से प्राधिकृत के सापेक्ष अधिक संवितरण

(₹ लाख में)

अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	नियमितीकरण हेतु व्याधिक्य
55 - लोक निर्माण विभाग (भवन)– पूर्जीगत भारित	100.00	110.71	10.71

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

बजटीय प्रावधान से अधिक संवितरण, अनुदान तथा अनुपूरक अनुदानों की मांग तैयार करते समय बजट नियंत्रण प्राधिकारी की ओर से अप्रभावी अनुश्रवण का संकेत था। संवितरण आधिक्य को राज्य विधानमंडल के माध्यम से नियमित करने की आवश्यकता है।

3.2.4.2 विगत वित्तीय वर्षों के अधिक व्यय का नियमितीकरण

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 137 में निर्देशित है कि यदि वर्ष की समाप्ति के उपरान्त, यह पता चलता है कि किसी अनुदान या भारित विनियोग के अधीन उस वर्ष के लिए उस अनुदान या भारित विनियोग के अधीन कुल विनियोग से अधिक व्यय किया गया था, अतिरिक्त व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) के अधीन अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान की मांग को विधानसभा में प्रस्तुत कर लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2005-06 से 2018-19 तक जैसा कि संबंधित वर्षों के विनियोग लेखों में टिप्पणी की गई है, से सम्बन्धित 102 अनुदानों और 46 विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 32,525.25 करोड़ के संवितरण आधिक्य को अब तक राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना शेष है, जैसा कि तालिका 3.6 में वर्णित है।

तालिका 3.6: विगत वित्तीय वर्षों का अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग का विवरण	अधिक राशि जिसको नियमित करने की आवश्यकता है
2005-06	राजस्व मतदेय- 8,12,53,55,57,58,72; पूँजीगत मतदेय-15,16,18,23, 33, 34,37,38,40, 55,56, 57,58,73,75,96; राजस्व भारित-1,52; पूँजीगत भारित-52,55;	869.05
2006-07	राजस्व मतदेय -9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूँजीगत मतदेय -3,16,31, 37, 55,57,58,89,96; राजस्व भारित -2,3,10,52,62,89;	2,484.47
2007-08	राजस्व मतदेय -51,55,57,58,62; पूँजीगत मतदेय - 13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित -51,66	3,610.65
2008-09	राजस्व मतदेय -62,96; पूँजीगत मतदेय -55,58,96; राजस्व भारित -52;	3,399.42
2009-10	राजस्व मतदेय -58; पूँजीगत मतदेय -1,16,55,58,59; राजस्व भारित -3,10,16,48,52,66;	1,250.16
2010-11	राजस्व मतदेय -30,51,91; पूँजीगत मतदेय -10,55,58; राजस्व भारित -10,23,61,82;	1,702.62
2011-12	राजस्व मतदेय -21,62,91; पूँजीगत मतदेय -1,55,58; राजस्व भारित -13,18,23,61,62,82;	1,889.66
2012-13	राजस्व मतदेय -51,57; पूँजीगत मतदेय -55,58; राजस्व भारित -55,62,89;	2,380.23
2013-14	पूँजीगत मतदेय - 55, 58; पूँजीगत भारित - 52;	2,608.18
2014-15	राजस्व मतदेय - 57,91; पूँजीगत मतदेय -1,40,55,57,58; राजस्व भारित -13;	2,225.32
2015-16	पूँजीगत मतदेय - 55,57,58,87; राजस्व भारित - 2,23,52,62;	1,566.71
2016-17	पूँजीगत मतदेय - 55,58,87; राजस्व भारित - 89; पूँजीगत भारित - 61;	5,662.17
2017-18	राजस्व मतदेय - 62; पूँजीगत मतदेय -55; राजस्व भारित -91; पूँजीगत भारित -58	1,337.17
2018-19	राजस्व मतदेय -57; पूँजीगत मतदेय - 55, 57, 58; राजस्व भारित - 52; पूँजीगत भारित - 10, 21, 55	1,539.44
नियमितीकरण की आवश्यकता वाले विगत वर्षों के कुल व्ययाधिक्य		32,525.25

आवश्यकता वाले विगत वर्षों के विनियोग लेखे

अधिक व्यय, बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक धन के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है और इसको नियमित न किया जाना संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है, जो यह प्रावधानित करता है कि राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा कोई भी धन संचित निधि से नहीं निकाला जाएगा।

प्राधिकृत से अधिक व्यय और अधिक व्यय को नियमित न किया जाना उत्तर प्रदेश सरकार के विगत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से सूचित किया गया है। तथापि, वर्ष 2005-06 से 2018-19 से संबंधित अधिक व्यय के मामलों को उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 172 के अनुसार वित्त विभाग द्वारा नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना शेष है।

3.2.5 हरित कर के लेखांकन के लिए उप–शीर्ष/विस्तृत शीर्ष नहीं बनाया जाना

राज्य सरकार द्वारा एकत्रित हरित कर के लेखांकन के लिए विशिष्ट उपशीर्ष, विस्तृत शीर्ष का सृजन/ संचालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.39 करोड़ की प्राप्ति सरकारी लेखे में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए जाने के कारण हरित कर के रूप में एकत्रित राजस्व का वांछित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम 2014 प्रावधान करता है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकरण की वैधता समाप्त होने के बाद परिवहन वाहन के अलावा किसी भी मोटर वाहन का उपयोग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा, जब तक कि मोटर वाहन अधिनियम-1988 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट दर पर हरित कर का भुगतान उसके संबंध में नहीं किया गया हो। हरित कर का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना था और इस प्रकार एकत्रित राजस्व का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने (जनवरी 2015) अधिसूचित किया कि वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण के समय एक बार भुगतान किये जाने वाले कर पर 10 प्रतिशत की दर से हरित कर देय होगा।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना से ज्ञात हुआ कि परिवहन विभाग ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान ₹ 12.39 करोड़⁴⁷ हरित कर संग्रहीत किया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि हरित कर के लेखांकन के लिए कोई पृथक उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष नहीं बनाया गया था और इसे राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अन्य करों के साथ मुख्य शीर्ष-0041-वाहन कर में जमा किया गया था। उपरोक्त एकत्रित हरित कर का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी नहीं किया जा रहा था क्योंकि इसके लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया था। इस प्रकार, हरित कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के इच्छित उद्देश्य हेतु नहीं किया जा रहा था।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी 2021); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2021)।

3.2.6 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2043-संग्रहण प्रभार का संचालन न करना

यूपीबीएम के प्रस्तर 21 में बताया गया है कि राज्य प्राप्तियों और संवितरणों के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची, जैसा कि लेखा महानियंत्रक (सीजीए), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के संदर्भ में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श द्वारा निर्धारित किया गया है, का उपयोग लेखा शीर्षों के वर्गीकरण के लिए किया जाना चाहिए। अग्रेतर, सरकारी लेखा नियम 1990 का नियम 26 निर्धारित करता है कि संघ एवं राज्यों के प्रमुख और लघु शीर्षों की सूची में निर्दिष्ट वर्गीकरण (मुख्य शीर्षों और लघु शीर्षों के स्तर तक दी गई कोड संख्या सहित) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। सीजीए ने (जून 2017) वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रभावी राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से संबंधित व्यय के लेखांकन के लिए राज्य वस्तु और सेवा कर के अन्तर्गत नया मुख्य शीर्ष 2043-संग्रह प्रभार आवंटित किया। तथापि, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने मुख्य लेखाशीर्ष 2043 का उपयोग नहीं किया है और इसके बजाय, एसजीएसटी संग्रह से संबंधित व्यय को मुख्य अनुदान संख्या 89 (संस्थागत वित्त विभाग) में लेखाशीर्ष 2040 (बिक्री, व्यापार, आदि पर कर) के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित किया जा रहा है जो सरकारी लेखा नियम 1990 के नियम 26 का उल्लंघन है।

⁴⁷ वर्ष-वार संग्रहीत किया गया हरित कर: 2015-16—₹ 1.49 करोड़, 2016-17—₹ 1.72 करोड़, 2017-18—₹ 2.12 करोड़, 2018-19—₹ 2.66 करोड़ और 2019-20—₹ 4.40 करोड़।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (सितम्बर 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2021)।

3.2.7 केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वर्णन में विसंगति

शासकीय खाते छ: स्तरीय वर्गीकरण संरचना का पालन करते हैं। बजट अभिलेखों में बजटीय प्रावधानों को दर्शाने के तरीके का उल्लेख बजट अभिलेखों की प्रस्तावना में किया गया है।

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली और बजट तैयार करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि बजट प्रावधानों से केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में उप-शीर्ष 01 या 02 के अधीन विस्तृत शीर्ष के साथ निर्दिष्ट वित्त पोषण प्रतिरूप (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थान) के साथ किए जाने चाहिए।

तथापि, 2019-20 के बजट अभिलेखों की जांच से पता चला कि वित्त पोषण प्रतिरूप को लेखांकित करने के लिए उपरोक्त मानदंडों का पालन निम्नलिखित तरीकों से नहीं किया गया है।

(i) **परिशिष्ट 3.2** में दिए गए विवरण के अनुसार कुछ केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में विस्तृत शीर्ष के साथ वित्त पोषण प्रतिरूप (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थान) का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ii) कुछ प्रकरणों में बिना कोई कारण बताए केन्द्रांश और राज्यांश का कुल योग 100 प्रतिशत से कम अथवा अधिक है। **परिशिष्ट 3.3** में दिए गए विवरण के अनुसार लागू मामलों में अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदान प्राप्तकर्ता के निधि अंश को भी अभिलिखित नहीं किया गया है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (सितम्बर 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2021)।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

बजटीय आवंटन, वास्तविक संवितरण, बचत और अभ्यर्पण का विवरण और परिकल्पित योजनाओं, परियोजनाओं पर उनके प्रभाव की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

3.3.1 बजट अनुमान और अपेक्षा तथा वास्तविक के बीच का अंतर

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधानों एवं वास्तविक व्यय के सापेक्ष कुल बजट प्रावधानों एवं बचत का मतदेय राजस्व, मतदेय पूँजीगत, भारित राजस्व तथा भारित पूँजीगत खंडों का सारांश तालिका 3.7 में विस्तृत रूप में दिया गया है।

तालिका 3.7: वर्ष 2019-20 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति।

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	वास्तविक अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	
							धनराशि	प्रतिशत
मतदेय	I. राजस्व	3,19,696.99	10,499.19	3,30,196.18	2,66,083.12	64,113.06	15,067.22	23.50
	II. पूँजीगत	93,276.05	6,559.46	99,835.51	73,436.47	26,399.04	4,585.38	17.37
	III. ऋण एवं अग्रिम	2,728.45	629.44	3,357.89	2,120.00	1,237.89	1.03	0.08
	योग	4,15,701.49	17,688.09	4,33,389.58	3,41,639.59	91,749.99	19,653.63	21.42

	व्यय की प्रकृति	वास्तविक अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	
							धनराशि	प्रतिशत
भारित	V. राजस्व	57,890.39	116.17	58,006.56	35,367.05	22,639.51	2.25	0.01
	VII. पूँजीगत	37.13	0.00	37.13	19.50	17.63	0.05	0.28
	VIII. सार्वजनिक ऋण—पुनर्भुगतान	35,374.48	1.47	35,375.95	22,400.61	12,975.34	2.76	0.02
	योग	93,302.00	117.64	93,419.64	57,787.16	35,632.48	5.06	0.01
	समग्र योग	5,09,003.49	17,805.73	5,26,809.22	3,99,426.75	1,27,382.47	19,658.69	15.43

स्रोत: 2019-20 के विनियोग लेखे

2019-20 के दौरान कुल प्रावधान ₹ 5,26,809.22 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक व्यय ₹ 3,99,426.75 करोड़ था। ₹ 1,27,382.47 करोड़ की सम्पूर्ण बचत कुल प्रावधान का 24.18 प्रतिशत थी, जिसमें राजस्व मतदेय (19.42 प्रतिशत), पूँजीगत मतदेय (26.44 प्रतिशत) और राजस्व भारित (39.03 प्रतिशत) भाग थे। यह राज्य सरकार के नियोजन एवं क्रियान्वयन में बड़े अन्तर को इंगित करता है।

3.3.2 विगत पांच वर्षों (2015–20) में बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय एवं बचत

विगत पांच वर्षों (2015-20) के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत तालिका 3.8 में प्रस्तुत की गई है।


तालिका 3.8: 2015–20 के दौरान मूल बजट, वास्तविक व्यय एवं बचतों का विवरण
(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
मूल बजट	3,15,221.94	3,60,797.65	4,17,256.95	4,56,248.38	5,09,003.49
अनुपूरक बजट	47,583.96	27,030.98	11,388.17	42,887.73	17,805.73
कुल बजट	3,62,805.90	3,87,828.63	4,28,645.12	4,99,136.11	5,26,809.22
वास्तविक व्यय	3,18,412.23	3,49,232.60	3,34,876.62	4,09,784.50	3,99,426.75
बचत / आधिक्य	44,393.67	38,596.03	93,768.50	89,351.61	1,27,382.47
बचत का प्रतिशत	12.24	9.95	21.88	17.90	24.18

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि 2015-20 की अवधि के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष बचत (निधि का कम उपयोग) 9.95 प्रतिशत (2016-17) से 24.18 प्रतिशत (2019-20) के मध्य थी। विगत पांच वर्षों (2015-20) के दौरान प्रावधान की तुलना में बजट के कम उपयोग को चार्ट 3.1 में भी देखा जा सकता है।

चार्ट 3.1 : विगत पांच वर्षों (2015–20) के दौरान बजट प्रावधान और बजट उपयोग



उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि विगत पांच वर्षों (2015-20) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई है, किन्तु बजट का उपयोग 76 प्रतिशत (2019-20) से 90 प्रतिशत (2016-17) के बीच था। 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान व्यय में ₹ 10,358 करोड़ (2.53 प्रतिशत) की कमी आई। इस प्रकार, कम बजट उपयोग से 2019-20 के लिए उच्च प्रावधानों का लाभ निष्प्रभावी हो गया।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि पिछले पांच वर्षों (2015-20) में से कम से कम एक वर्ष में 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले आठ अनुदान थे जिनका विवरण तालिका 3.9 में दिया गया है।

तालिका 3.9: 2015–20 के दौरान बजट का 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बजट प्रावधानों के सापेक्ष व्यय प्रतिशत (व्यय प्रतिशत में)					50 प्रतिशत से कम उपयोग वाले वर्षों की संख्या
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
1.	12	कृषि तथा अन्य संम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	64.95	66.18	74.30	38.96	12.98	02
2.	16	कृषि तथा अन्य संम्बद्ध विभाग (दुर्घटात्मा विकास)	95.48	94.60	98.53	64.76	30.83	01
3.	37	नगरीय विकास विभाग	77.02	69.09	54.34	76.01	48.79	01
4.	40	नियोजन भिंग	67.64	79.92	60.11	85.61	45.86	01
5.	44	पर्यटन विभाग	89.70	69.27	17.77	67.11	47.41	02
6.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	52.86	47.41	55.34	36.54	31.69	03
7.	63	वित्त विभाग (कोषागार एवं लेखा प्रशासन)	64.51	65.88	70.67	0.00	40.95	02
8.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	96.27	74.91	93.95	95.00	48.90	01

झोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

3.3.3 अव्ययित राशि और बड़ी मात्रा में अभ्यर्पित विनियोग

यूपीबीएम के प्रस्तर 174 के संदर्भ में दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण बजट, बड़े समर्पण की आवश्यकता या इसके परिणामस्वरूप अधिकता को एक गंभीर वित्तीय अनियमितता माना गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट प्रक्रिया शुरू होने पर बजट तैयार करने हेतु जारी दिशा-निर्देश भी अनुमानों की सटीकता पर बल देते हैं और त्रुटिपूर्ण मांगों

को तैयार करने के लिए जिम्मेदार पाये गए अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने पर जोर देते हैं।

उत्तर प्रदेश के विगत राज्य वित्त लेखा प्रतिवदेनों में विभिन्न योजनाओं में सतत बचतों (₹ 100 करोड़ या अधिक) एवं प्रावधानों के उपयोग न होना प्रतिवेदित किया गया था एवं राज्य सरकार को कारणों की समीक्षा व भविष्य के वर्षों में अधिक न्यायोचित प्रावधान करने सम्बन्धी परामर्श दिया गया था। वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखे के अन्तर्गत 92 अनुदानों के संबंध में बचत सहित मूल/अनुपूरक अनुदानों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 41 अनुदानों से सम्बन्धित 41 प्रकरणों में राजस्व-मतदेय के अधीन एवं 27 प्रकरणों में 27 अनुदानों से सम्बन्धित पूंजीगत-मतदेय अनुभागों के अधीन क्रमशः ₹ 62,693.14 करोड़ एवं ₹ 26,825.36 करोड़ की बचत अभिलेखित हुई। इसी प्रकार, राजस्व भारित मद के अधीन एक अनुदान से सम्बन्धित एक प्रकरण में और पूंजीगत भारित अनुभाग के अधीन दो अनुदानों से सम्बन्धित दो प्रकरणों में (जहां प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी) क्रमशः ₹ 22,455.49 करोड़ और ₹ 12,972.49 करोड़ की बचत अंकित की गई। इस प्रकार, 49 अनुदानों के 71 मामलों में कुल ₹ 1,24,946.48 करोड़ की बचत हुई (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक) जैसा कि परिणिष्ट 3.4 में वर्णित है और तालिका 3.10 में संक्षेपित है।

तालिका 3.10: वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक बड़ी बचतों वाले अनुदानों का सारांश (₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान का अनुभाग	मामलों की संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	कुल प्रावधान के सापेक्ष बचतों (प्रतिशत)
1.	राजस्व मतदेय	41	2,86,444.76	10,198.06	2,96,642.82	2,33,949.68	62,693.14	21.13
2.	पूंजीगत मतदेय	27	90,988.06	6,124.12	97,112.18	70,286.82	26,825.36	27.62
कुल मतदेय			3,77,432.82	16,322.18	3,93,755.00	3,04,236.50	89,518.50	22.73
1.	राजस्व भारित	68	52,719.67	0.00	52,719.67	30,264.18	22,455.49	42.59
2.	पूंजीगत भारित	2	35,347.43	1.47	35,348.90	22,376.41	12,972.49	36.70
कुल भारित		3	88,067.10	1.47	88,068.57	52,640.59	35,427.98	40.23
समग्र योग		71	4,65,499.92	16,323.65	4,81,823.57	3,56,877.09	1,24,946.48	25.93

स्रोत: विनियोग लेखा-20-2019

विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही सम्बन्धित योजनाओं के संबंध में बड़ी बचत त्रुटिपूर्ण बजट या निष्पादन में कमी या दोनों का संकेत है।

3.3.4 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

यूपीबीएम का प्रस्तर 162, अन्य बातों के अतिरिक्त यह निर्धारित करता है कि अनुपूरक अनुदान या विनियोग की आवश्यकता तब होती है जब विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत अनुदान या विनियोग में शामिल राशि वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, या जब उस वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में विचार नहीं की गई कुछ नई सेवाओं, योजना या मद पर व्यय करने के लिए आवश्यकता उत्पन्न होती है।

वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखों से पता चला कि 39 अनुदानों के 55 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) किये गये ₹ 10,273.85 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, इन अनुदानों में ₹ 75,472.51 करोड़ बचत के कारण अनावश्यक साबित हुए।

इस प्रकार, व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं था जैसा कि परिशिष्ट-3.5 में वर्णित है एवं तालिका 3.11 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.11: उन मामलों का सारांश जिनमें वर्ष 2019–20 में अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान का अनुभाग	कुल मामले	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	बचत
1.	राजस्व मतदेय	29	2,22,128.25	8,398.02	1,81,096.47	49,429.80
2.	पूंजीगत मतदेय	25	66,495.66	1,874.36	45,409.07	22,960.95
3.	पूंजीगत भारित	1	3,152.79	1.47	72.50	3,081.76
	योग	55	2,91,776.70	10,273.85	2,26,578.04	75,472.51

ज्ञोतः विनियोग लेखे 2019–20

यह अनुपूरक प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप इन अनुदानों के अन्तर्गत बचत हुई। इसके अतिरिक्त, अनुपूरक प्रावधान धनराशि की आवश्यकता का मूल्यांकन सावधानी से नहीं किया जाना खराब बजट अनुशासन का भी सूचक है।

3.3.5 अनावश्यक पुनर्विनियोग

यूपीबीएम के प्रस्तर 147 में प्रावधान है कि विनियोग की प्रत्येक इकाई के अन्तर्गत व्यय को विनियोग की उस इकाई को अधीन मूल रूप से प्रदान की गई राशि के भीतर रखा जाना चाहिए। तथापि, यदि किसी योजना/सेवा पर मूल/अनुपूरक प्रावधान आवश्यकता से कम पाया जाता है, तो सरकार पुनर्विनियोग का सहारा ले सकती है जो उसी अनुदान के एक लेखाशीर्ष से दूसरे लेखाशीर्ष में बचत का हस्तांतरण है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2019-20 के दौरान, 22 अनुदानों के 38 उप-शीर्षों में, मूल बजट प्रावधान ₹ 4,314.42 करोड़ थे, अनुपूरक प्रावधान ₹ 256.30 करोड़ थे एवं ₹ 828.06 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया। इसके अलावा, 22 अनुदानों के 38 उप शीर्षों में ₹ 1,455.62 करोड़ की बचत हुई जो यह दर्शाती है कि इन मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक था। पुनर्विनियोग और बचतों का विवरण परिशिष्ट 3.6 में दिया गया है और तालिका 3.12 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.12: अनावश्यक पुनर्विनियोग की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

अनुदानों की संख्या	उपशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान	व्यय	बचतें
22	38	4,314.42	256.30	828.05	5,398.77	3,943.15	1,455.62

ज्ञोतः विनियोग लेखे 2019–20

यह इन अनुदानों के तहत पुनर्विनियोग का सहारा लेने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं था जबकि पर्याप्त बजटीय प्रावधान पहले से ही उपलब्ध थे।

3.3.6 व्यय की अनुचित तीव्रता

व्यय की एक स्थिर गति को बनाए रखना, सार्वभौमिक रूप से एक ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के रूप में स्वीकार किया गया है। केन्द्र सरकार में लागू सामान्य वित्तीय नियमों में, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अनुचित तीव्रता को वित्तीय औचित्य के उल्लंघन के रूप में माना गया है। तथापि, व्यय के संकेन्द्रण को रोकने के लिए यूपीबीएम में कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है।

वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखों में यह पाया गया कि चार अनुदानों पर उनके कुल बजटीय प्रावधानों का 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम माह अर्थात् मार्च 2020 में किया गया। बजट प्रावधान और उस पर किये गये ऐसे व्यय का विवरण तालिका 3.13 में दिया गया है।

तालिका 3.13: केवल मार्च 2020 में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले अनुदान

क्रम सं०	अनुदान सं०	अनुदान का विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल व्यय	मार्च 2020 में व्यय	कुल व्यय से चतुर्थ तिमाही के व्यय का प्रतिशत	कुल व्यय से मार्च के व्यय का प्रतिशत
1	84	सामान्य प्रशासन विभाग	4.78	5.83	1.01	225.83	237.45	199.31	95.11	83.94
2	44	पर्यटन विभाग	21.89	45.77	48.50	368.69	484.85	276.95	76.04	57.12
3	57	लोक निर्माण विभाग (संचार एवं सेतु)	150.86	184.74	552.29	1582.74	2470.63	1395.78	64.06	56.49
4	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	4.47	38.25	65.58	226.78	335.08	184.24	67.68	54.98

स्रोत: महालेखाकार (ले. एवं हक.) I उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2019–20 के वीएलसी आंकड़े

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 237.45 करोड़ था जिसमें से ₹ 199.31 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय किया गया था, जो कि कुल बजट प्रावधान का 83.94 प्रतिशत था। अग्रेतर संवीक्षा में पाया गया कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग में हुए ₹ 276.95 करोड़ में से ₹ 100 करोड़ वैयक्तिक जमा खाता/वैयक्तिक बही खाता के अधीन 8443 (सिविल जमा)-117 (सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिए किए गये कार्यों के लिए जमा राशि) में स्थानान्तरित कर दिए गए। वैयक्तिक जमा खाते में धनराशि का यह हस्तान्तरण प्रशासनिक विभागों द्वारा संचित निधि से धनराशि का आहरण कर व्यक्तिगत खातों/व्यक्तिगत जमा खाता में प्रचलन को रोकने के राज्य सरकार के निर्देशों (मार्च 2018) का उल्लंघन था।

3.3.7 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

यूपीबीएम के प्रस्तर 212 में योजनाओं और परियोजनाओं के सूत्रीकरण और मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा निम्नानुसार है:

“शक्तिशाली परियोजना सूत्रीकरण और मूल्यांकन का परियोजनाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव के साथ-साथ उनके समय पर कार्यान्वयन पर एक बड़ा असर पड़ता है। परियोजना सूत्रीकरण और मूल्यांकन चरण में दिये गए अतिरिक्त समय और प्रयास के परिणामस्वरूप अंतिम परियोजना प्रभाव के मामले में गुणात्मक सुधार होगा।”

विनियोग लेखे 2019-20 की लेखापरीक्षा संवीक्षा में ऐसी योजनायें पाई गई जिनके लिए सरकार ने मूल/अनुपूरक प्रावधान किए लेकिन विनियोग लेखों में बिना कारण बताए कोई धनराशि व्यय नहीं की गई। इसी प्रकार, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां मूल और अनुपूरक प्रावधानों को अन्य परियोजनाओं/योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया था और उन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया था जिनके लिए मूल रूप से विनियोग किया गया था। ऐसे मामलों के विवरण का उल्लेख नीचे किया गया है:

3.3.7.1 योजना जिसके लिए मूल और अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका

विनियोग लेखे 2019-20 से देखा गया कि राज्य सरकार ने बजट में 42 अनुदानों के अन्तर्गत 193 योजनाओं के लिए ₹ 43,865.90 करोड़ का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अन्य 28 योजनाओं के लिए ₹ 5,143.73 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान 13 अनुदानों के अन्तर्गत किया, जिसमें दो योजनाओं में ₹ 2.00 करोड़ के मूल प्रावधान भी थे। इस प्रकार वर्ष 2019-20 के दौरान 45 अनुदानों के अंतर्गत 221 योजनाओं के लिए ₹ 49,011.63 करोड़ का कुल प्रावधान किया गया, किन्तु कोई व्यय नहीं किया गया। इससे प्रदर्शित होता है कि 221 योजनाएं जिनके मूल या अनुपूरक प्रावधानों में आवंटन किया गया था, निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका।

वह योजनाएं जिनके लिए मूल और अनुपूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था, का विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दिया गया है और **तालिका 3.14** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.14: उन योजनाओं का सारांश जिनमें मूल और अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

अनुदान की संख्या	योजनाओं की संख्या	मूल प्रावधान	पूरक अनुदान	कुल प्रावधान	कुल व्यय
45	221	43,867.90	5,143.73	49,011.63	0.00

221 योजनाओं के अन्तर्गत निधियों का उपयोग न करने से यह संकेत मिलता है कि बजट या तो उचित विवेक के बिना तैयार किया गया था या कार्यक्रम क्रियान्वयन में गंभीर छूक हुई थी।

3.3.7.2 योजनायें जिसके लिए मूल, अनुपूरक प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया

राज्य सरकार ने 2019-20 के बजट में 24 अनुदानों के अन्तर्गत 56 योजनाओं के लिए ₹ 480.00 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान सहित ₹ 4,373.57 करोड़ का प्रावधान किया (**परिशिष्ट 3.8**)। तथापि, इन योजनाओं के प्रावधानों (₹ 3,274.46 करोड़) का पुनर्विनियोजन किया गया था साथ ही शेष निधि (₹ 1,099.11 करोड़) का इन योजनाओं पर उपयोग नहीं किया गया था। कुछ योजनाएं जिनमें बजटीय प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया था, उन्हें **तालिका 3.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15 : वर्ष 2019–20 के दौरान योजनाओं में बजट प्रावधानों का उपयोग न करना।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय
1.	7- औद्योगिक विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	इनक्षुबेटर और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए प्रारम्भिक निधि (सीड निधि)	100.00	0.00
2.	40- नियोजन विभाग	बुन्देलखण्ड के लिये विशेष योजना	112.27	0.00
3.	44- पर्यटन विभाग	वराणसी जिले में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना	200.00	0.00
4.	51- राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदा राहत)	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से व्यय	1,000.00	0.00
5.	37-नगर विकास विभाग	वाह्य सहायतित परियोजनायें	235.00	0.00
योग			1,647.27	0.00

3.3.8 बचत का विलंबित अभ्यर्पण

यूपीबीएम का प्रस्तर 141 नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित करता है कि सभी अंतिम बचत 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर दी जानी चाहिए। यदि वित्त विभाग ऐसे अभ्यर्पणों को स्वीकार करने में असमर्थ रहता है तो देरी से अभ्यर्पण करने वाले अधिकारी को, परिणामी वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि बचत का उचित अनुमान लगाया जा सकता था और पहले अभ्यर्पण किया जा सकता था।

बचत और अभ्यर्पण का विवरण नीचे चार्ट 3.2 में दिया गया है।

चार्ट 3.2: वर्ष 2019–20 के दौरान कुल बचत और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)



उपरोक्त चार्ट में देखा जा सकता है कि ₹ 1,27,382.47 करोड़ की कुल बचत में से केवल ₹ 19,658.69 करोड़ (15.43 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित किए गए थे एवं शेष धनराशि ₹ 1,07,723.78 करोड़ व्ययगत हो गई। इसके अलावा, यूपीबीएम के निर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए समस्त अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन किए गए थे।

3.3.9 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

यूपीबीएम का प्रस्तर 107 नियंत्रण अधिकारी को अनुदान के लिए आवंटित निधियों की संभावित बचत/व्यपगत राशियों का जल्द से जल्द अभ्यर्पण करने के लिए बाध्य करता है।

पांच अनुदानों के छः मामलों में, ₹ 189.86 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 190.55 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप 2019-20 के दौरान ₹ 0.69 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ, जैसा कि तालिका 3.16 में वर्णित है।

तालिका 3.16: 2019-20 के दौरान वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित धनराशि	अभ्यर्पण का आधिक्य
1	10	कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय (मतदेय)	18.72	8.07	8.21	0.14
			4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय (मतदेय)				
			4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय (मतदेय)				
			4851- गांव एवं लघु उद्योग (मतदेय)				
2			2401- फसल कृषि कर्म (भारित)	2.21	0.05	0.06	0.01
			2406- वानिकी तथा वन्य जीव (भारित)				
			2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा (भारित)				
			2851- गांव तथा लघु उद्योग (भारित)				
3	18	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (सहकारिता)	2013- मंत्रिपरिषद (मतदेय)	572.39	81.44	81.56	0.12
			2049- ब्याज अदायगियां (मतदेय)				
			2425- सहकारिता (मतदेय)				
4	44	पर्यटन विभाग	3452- पर्यटन (मतदेय)	137.72	81.66	81.67	0.01
5	45	पर्यावरण विभाग	3435- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण (मतदेय)	15.38	7.41	7.42	0.01
6	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक कल्याण (मतदेय)	2,657.38	11.23	11.63	0.40
			2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (मतदेय)				
योग				3,403.80	189.86	190.55	0.69

स्रोत: विनियोग लेखे 2019-20

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण इंगित करता है कि संबंधित विभागों के नियंत्रक अधिकारियों ने अपने नियंत्रण प्राधिकारियों के माध्यम से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के मासिक व्यय विवरण के व्यय प्रवाह की पर्याप्त निगरानी न करके बजट नियंत्रण का उपयोग नहीं किया।

3.4 संस्तुतियाँ

- राज्य विधानसंघर के अनुमोदन के बिना किया गया व्यय संविधान के अनुच्छेद 204 में निहित प्रावधानों के विरुद्ध है अतः इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य

सरकार को विधानमंडल के प्राधिकार के बिना यूपीईआरसी के भवन निर्माण पर व्यय के कारणों की जांच एवं जिम्मेदारी नियत की जानी चाहिए।

- विधायी प्राधिकार से अधिक व्यय 2005-06 से 2019-20 की अवधि से सम्बन्धित संविधान के अनुच्छेद 205 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमितीकरण हेतु राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- कुछ व्यय मदों का पूँजीगत या राजस्व प्रकृति के रूप में वर्गीकरण कुछ मानक मदों में सम्मिलित था, जैसा कि प्रस्तर 3.2.2 में बताया गया है, इसे यूपी बजट मैनुअल (यूपीबीएम) के साथ संरेखित करने के लिए समीक्षा और निवारण की आवश्यकता है।
- एकमुश्त बजटीय प्रावधान यूपीबीएम के प्रस्तर 31 का उल्लंघन है और यूपीबीएम के प्रावधानों के आलोक में इसे प्रतिबंधित या पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है।
- अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोग निधि आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। वित्त विभाग संबंधित विभागों को निधियों के इष्टतम उपयोग के क्रम में संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय योजनाओं/परियोजनाओं के लागत अनुमान में सुधार करने के लिए परामर्श दे सकता है।
- 25 मार्च तक निधियों के अभ्यर्पण के संबंध में यूपीबीएम के प्रस्तर 141 के निर्देशों के अनुपालन में निधियों के इष्टतम उपयोग एवं बजटीय अनुशासन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- सरकार व्यय की स्थिर गति को बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में विशेष रूप से मार्च में व्यय की अनुचित तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।